# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)**

प्रकरण संख्या – 179/2022 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2022/440

ग्राम पंचायत अरनिया जोशी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. भोलीराम पिता भेरा नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा ।
2. डालचन्द पिता भेरा नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा।
3. लालचन्द पिता भेरा नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा।
4. जानी पुत्री रूपलाल नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा।
5. देवीलाल पिता रूपलाल नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा।
6. बाबुलाल पिता रूपलाल नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा।
7. मोतिया पत्नी रूपलाल नायक आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956</u>**

उपस्थित :– 1– श्री सआदत अली – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री आशाराम प्रजापत – विपक्षी नं0 2 व 3

## :: निर्णय ::

दिनांक :– 10.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा में आराजी नम्बर 385/886 रकबा 0.2500 हैक्टेयर श्मशान भूमि स्थित है जिसके पुराने नम्बर 563/26[illegible] श्मशान भूमि के पश्चिम में पुराना कदीमी रास्ता है जो उत्तर से दक्षिण [illegible] है।

2. पुरानी आराजी नम्बर 263 सरकारी भूमि होकर [illegible] बड़ा नम्बर था, इसी में से यह श्मशान भूमि सरकार द्वारा दी गई एवं इसी में [illegible] रास्ता श्मशान भूमि के पश्चिम में है। इस आराजी में से 6 बीघा भूमि जिसके पुराने आराजी नम्बर 573/263 थे, भेरा पिता घासी नायक को अलोट हुई थी एवं आराजी नम्बर 263 में से रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा रूपलाल पिता भेरा नायक को अलोट हुई थी जो इस आराजी नम्बर 263

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पुरानी के पश्चिम दिशा में हुई थी किन्तु उस समय नक्शे में तरमीम नहीं की गई थी लेकिन यह अलोटमेन्ट वाले खातेदार हमेशा से इस आराजी के पश्चिम दिशा में ही काबिज है। भेरा नायक का देहान्त हो गया जिसके वारिसान उसके चार पुत्र भोलीराम, डालचन्द, लालचन्द एवं रूपलाल हुए और इनके बीच भेरा की आराजी नम्बर पुरानी 263 रकबा 6 बीघा जिसके नये नम्बर 385 रकबा 1.5200 हैक्टेयर था के बटवाडे से 959/385, 385, 960/385, 961/385 होकर इनके अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हुई। इनमें से रूपलाल का देहान्त हो गया उसके हिस्से की आराजी उसके वारिसान जानी, देवीलाल, बाबुलाल एवं मोतिया के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार से जो आराजी नम्बर 263 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा रूपलाल को अलोट हुई थी उसके नये नम्बर 388, 389 हुए जो रूपलाल के देहान्त के बाद उसके पुत्र, पुत्री एवं पत्नी विपक्षीगण जानी, देवीलाल, बाबुलाल एवं मोतियाबाई के नाम आई।

3. नये सेटलमेंन्ट में विपक्षीगण की आराजियात नम्बर 959/385, 385, 960/385, 961/385, 388 एवं 389 गलती से इस पुरानी आराजी नम्बर 263 के पूर्वी दिशा में जहां की पुराना रास्ता है एवं श्मशान की भूमि है वहां नक्शे में गलती से दर्ज कर दिये गये, इस कारण से विपक्षीगण गलत नये नक्शे के आधार पर पुराने रास्ते एवं श्मशान की भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर उतारू है जबकि उनका कब्जा हमेशा से इस नयी आराजी नम्बर 385 जिसके पुराने नम्बर 263 थे, के पश्चिम में रास्ते के पश्चिम में था व है किन्तु नये सेटलमेंट की गलती से यह लोग नाजायज रूप से अपने कब्जे के अलावा रास्ते एवं श्मशान की भूमि में कब्जा करने पर उतारू है एवं मना करने पर विवाद करते है, ऐसी स्थिति में जो नक्शे में सेटलमेंट में गलती हो गई है उसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है तथा जहां विपक्षीगण का कब्जा है वहीं पर उनकी आराजी नक्शे में दर्ज की जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जो सेटलमेंन्ट में नक्शे में गलती हो गई है उसे दुरूस्त करवाने तथा विपक्षीगण की आराजी को उनके कब्जे अनुसार नक्शे में दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 4 व 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1, 6, 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और जवाब हेतु अवसर चाहा लेकिन बाद में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत ने जवाब मय अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब में अंकित किया की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में यह स्वीकार है श्मशान भूमि है तथा यही भी स्वीकार है की वहां पर एक रास्ता भी है वह भी उत्तर दक्षिण की ओर किन्तु शामलात [illegible] आराजी नम्बर क्या है इसकी जानकारी विपक्षीगण 2 व 3 [illegible] दस्तावेज से साबित करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में मात्र यह स्वीकार है की विपक्षीगण 1 से 3 तथा रूपलाल के पिता को आराजियात आवंटन हुई जिसके नये आराजी नम्बर 385 है जो रकबा 0.3800 हैक्टेयर है जिसके पुराने आराजी नम्बर 263/573 रकबा 6 बीघा है जो आराजियात आवंटन की गई तथा जहां पर विपक्षीगण 1 से 3 के एवं स्व0 रूपलाल के पिता भैरा नायक को आवंटन के समय कब्जा मौके पर दिया उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

पड़ौस पूर्व में रास्ता श्मशान सरकारी जमीन व हीरालाल धाकड़, पश्चिम में सरकारी बिलानाम आराजियात तथा बाद में नहर जो आवंटन के बाद बनी, उत्तर नाला, दक्षिण भगवाना भील तथा वर्तमान में भगवानलाल के वारिसान, कैलाश भील आदि की आराजी है, जिस पर आवंटन के वक्त से भैरा जी काश्त करते चले आ रहे थे तथा भैरा जी का स्वर्गवास लगभग 50–55 वर्ष पूर्व हो जाने से उनके वारिसान काबिज हुआ तथा इसी पड़ौस के मध्य की आराजियात पर आज भी विपक्षीगण भैरा (भैरूलाल) के वारिसान काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, तथा यह भी स्वीकार है की रूपलाल को लगभग 1 बीघा आराजियात आवंटन हुई जिस पर कब्जा आवंटन के बाद से कब्जा रूपलाल का चला आ रहा है, रूपलाल के स्वर्गवास होने के बाद उसके वारिसान काबिज है। आराजियात जो विपक्षीगण नम्बर 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 6 के दादा व विपक्षी नम्बर 7 के ससुर को जो आराजियात आवंटन हुई उससे पूर्व गांव का श्मशान पहले दूसरी जगह थी तथा अभी जो श्मशान है वह बाद में आवंटित भूमि पर बना है तथा जो कदीमी रास्ता है वह स्वर्गीय भैरा की आराजियात के पूर्व दिशा में है। तथा इसी रास्ते से उत्तर से दक्षिण को जाता है, तथा पूर्व दिशा में है तथा इसी रास्ते से उत्तर से दक्षिण को जाता है तथा पूर्व से पश्चिम बाकी तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में यह स्वीकार नहीं है की पुराना जो रास्ता विपक्षीगण 2 व 3 तक जो रास्ता दक्षिण से उत्तर की और जाता है जो रास्ता कैलाश पिता भगवाना भील की आराजियात के मध्य से होता हुआ, रूपलाल की दूसरी आवंटित आराजियात के मध्य पूर्वी दिशा की आराजी में होता हुआ श्मशान तक आता जाता है। तथा इसके बाद श्मशान से पश्चिम दिशा तथा विपक्षीगण की पुश्तैनी आराजी के पूर्व दिशा के मध्य होता हुआ विपक्षी भोलीराम तक जो रास्ता वह निजी रास्ता है जो मात्र विपक्षीगण के आने जाने है, जिससे उक्त चरण में यह स्वीकार नहीं है की प्रार्थीगण या आम रास्ते पर विपक्षी ने कोई जबरन कब्जा किया । सेटलमेंट द्वारा कोई नक्शे में त्रुटि नहीं की है, केवल सरपंच साहब विपक्षीगण से राजनैतिक रंजिश से यह कार्यवाही की है जो कानूनन उचित नहीं है। पूर्व में भी प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को इसी कारण नोटिस दिया था। श्मशान की भूमि जो आवंटन शुदा है वह मौके पर मोजूद है तथा श्मशान की भूमि पर विपक्षीगण 2 व 3 व इनके भाई रूपलाल ने कभी कब्जा नहीं किया है ना ही इनके पिता भैरा जी ने श्मशान की भूमि पर कब्जा किया है। प्रार्थी सरपंच साहब ग्राम पंचायत अरनियाजोशी विपक्षीगण से राजनैतिक द्वेवश रख कर झूठी कार्यवाही करते चले आ रहे है। पूर्व में भी सरपंच साहब ने जो आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज थी जिसका नोटिस दिनांक 09.05.2022 को सरपंच साहब ने बिना किसी कानूनी हक व अधिकार के वर्तमान आराजी नम्बर 386 रकबा 0.1300 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 387 रकबा 0.4500 हैक्टेयर जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है, जिसके पुराने आराजी नम्बर 385 है का नाजायज कब्जे का नोटिस गैर कानूनी रूप से विपक्षीगण को दिया, जिसका जवाब भी विपक्षीगण ने दिनांक 11.05.2022 को [illegible] अतः प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें प्रार्थीगण [illegible] दिनांक को किस कारण से हुई इसका कोई विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बेरून मियाद होने से खारिज होने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष कथन के पेश कर निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना विपक्षी नम्बर 2 व 3 के विरुद्ध मय हर्जे खर्चे सहित खारीज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

5. प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/प्र.गा.स.अ./विविध/2023/79 दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम अरनिया जोशी की आराजी नम्बर 385/886 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म श्मशान दर्ज रेकार्ड है। जो गत साबिक आराजी नम्बर 563/263 रकबा 1 बीघा से बना है। उक्त प्रासंगिक श्मशान के पास गत साबिक आराजी नम्बर 263 से हुए आवंटन टुकडों के मिलान क्षेत्रफल अनुसार तुलना विवरण निम्न है :

| वर्तमान विवरण | | गत साबिक विवरण | | खातेदार का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टेयर में) | आराजी नम्बर | रकबा (बीघा में) | |
| 385 | 1.52 | 573/263 | 6–00 | भेरा/घीसा नायक |
| 388 | 0.25 | 633/263 | 1–00 | रूपलाल नायक |
| 389 | 0.32 | 263 | 1–05 | रूपलाल नायक |
| 390 | 4.82 | 563/263 | 37–12 | चरनोट |
| 387 | 0.45 | 563/263 | – | चरनोट |
| 385/886 | 0.25 | 563/263 | 1–00 | श्मशान |
| 386 | 0.13 | 671/263 | 0–10 | भगवाना भील |

गत नक्शा प्रति, नवीन नक्शा प्रति एवं मिलान क्षेत्रफल से जांच से यह पाया जाता हैं कि आराजी नम्बर 385, 388, 389, 390, 387, 385/886, 386 गत साबिक आराजी नम्बर 263 के ही टुकडों से बने है जिनका साबिक मूल नम्बर 263 था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 3 के क्रम में मौके पर नक्शे एवं कब्जा काश्त अनुसार जांच करने पर पाया कि मौके एवं नक्शे में भिन्नता है। मौके पर काबिज स्थिति एवं जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार नक्शा तरमीम जांच गत भू–प्रबन्ध नक्शा प्रति एवं वर्तमान नक्शा एवं मौका से करने पर वर्तमान नक्शे में प्रस्तावित संलग्न नक्शा तरमीम ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि केवल नक्शे में किया जाना उचित है।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rumadia
Date: 2023.09.14 16:14:38 IST
Reason: Self Attested

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकार्ड की त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने के अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। विपक्षी नम्बर 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूवर्क गहनता से अध्ययन किया। ग्राम अरनिया जोशी की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 1 में आराजी नम्बर 385/886 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म श्मशान भूमि दर्ज रेकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी साबिक आराजी नम्बर 563/263 रकबा 1 बीघा से बनी है। तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रासंगिक श्मशान के पास गत साबिक आराजी नम्बर 263 से हुए आवंटन टुकडों के मिलान क्षेत्रफल अनुसार तुलना विवरण निम्न है :

| वर्तमान विवरण | | गत साबिक विवरण | | खातेदार का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टेयर में) | आराजी नम्बर | रकबा (बीघा में) | |
| 385 | 1.52 | 573/263 | 6–00 | भेरा/घीसा नायक |
| 388 | 0.25 | 633/263 | 1–00 | रूपलाल नायक |
| 389 | 0.32 | 263 | 1–05 | रूपलाल नायक |
| 390 | 4.82 | 563/263 | 37–12 | चरनोट |
| 387 | 0.45 | 563/263 | – | चरनोट |
| 385/886 | 0.25 | 563/263 | 1–00 | श्मशान |
| 386 | 0.13 | 671/263 | 0–10 | भगवाना भील |

उक्त नवीन आराजियात में से आराजी नम्बर 385 के खातेदार श्री भेरा के फोत हो जाने के उपरांत भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। उनके वारिसान ने उक्त आराजी का आपसी सहमति बंटवारा करवा लिया जिसके नवीन आराजी नम्बर 385, 959/385, 960/385 एवं 961/385 बने होकर प्रत्येक आराजी का रकबा 0.38 एवं 0.38 हैक्टेयर है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भेरा के वारिसानों के नाम दर्ज रेकार्ड है। श्मशान भूमि एवं श्मशान भूमि के पास गत साबिक आराजी नम्बर 263 से आवंटन हुए के मध्य रास्ता स्थित होना प्रार्थना पत्र में वर्णित है। साथ ही विपक्षी नम्बर 2 डालचन्द पिता भेरा एवं विपक्षी नम्बर 3 लालचन्द पिता भेरा ने अपने जवाब दावा के बिन्दु संख्या 1 में श्मशान भूमि होना एवं वहां पर एक रास्ता भी होना स्वीकार किया जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। साथ ही जवाब के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया गया हैं कि विपक्षी संख्या 1 ता 3 तथा रूपलाल के पिता को साबिक आराजी नम्बर 263/573 रकबा 6 बीघा आवंटित हुई थी जिसके पडोस पूर्व में रास्ता श्मशान सरकारी जमीन व हीरालाल धाकड है। इससे स्पष्ट हैं कि विपक्षीगणों के पिता को आवंटित भूमि के पूर्व दिशा में रास्ता स्थित है। यह रास्ता श्मशान भूमि के पश्चिम दिशा में एवं विपक्षीगणों को आवंटित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित है। यानि श्मशान भूमि और [illegible] की आवंटित भूमि के मध्य रास्ता स्थित है। किन्तु वर्तमान आराजी नम्बर [illegible]9/385, 385, 960/385, 961/385, 388 एवं 389 तथा श्मशान भूमि आराजी नम्बर 385/886 के नक्शे के बीच कोई रास्ता नहीं होकर [illegible] एक दूसरे से सटी हुई तरमीम की गई है। जबकि [illegible] होना चाहिए था। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि [illegible] पर काबिज स्थिति एवं जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार नक्शा तरमीम जांच गत भू–प्रबन्ध नक्शा प्रति एवं वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

नक्शा एवं मौका से करने पर वर्तमान नक्शे में प्रस्तावित संलग्न नक्शा तरमीम ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि केवल नक्शे में किया जाना उचित है। साथ ही प्रस्तावित नक्शा भी रिपोर्ट के साथ संलग्न किया है। प्रस्तावित नक्शे में विपक्षीगणों को आवंटित भूमि एवं श्मशान भूमि के मध्य भूमि छोडी गई है, जो रास्ते के रूप में प्रयोग हो रही थी । अतः प्रकरण के संबंध में पर्याप्त सबूत एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा वर्तमान नक्शे में प्रस्तावित शुद्धि के क्रम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**आदेश है कि**

*प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड एवं पर्याप्त सबूतों तथा तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम अरनियाजोशी की आराजी नम्बर 387, 959/385, 385, 960/385, 961/385, 388, 389 एवं आराजी नम्बर 386 के राजस्व नक्शे में तरमीम तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत तरमीम नक्शा अनुसार करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

10/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested